न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—141 / 12 (2012 / 00105) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंकरलाल आत्मज नारायण ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कंवरलाल आत्मज नारायण ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—डालचन्द आत्मज देवा ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—गिरधारी आत्मज देवा ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बंशीलाल आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नान्दुड़ा हाल निवासी गढ़बोर चारभुजा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसंमद
2—कमला पुत्री भंवरलाल पत्नि मोतीलाल ब्राहम्ण निवासी चारभुजा हाल निवास ब्राहम्ण टुकड़ा तहसील आमेट जिला राजसंमद
3—निर्मला पुत्री भंवरलाल पत्नि रतनलाल ब्राहम्ण निवासी चारभुजा हाल निवास धायला तहसील व जिला राजसंमद
4—सुशीलादेवी पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी चारभुजा तहसील कुम्भलगढ़ जि0 राजसंमद
5—सम्पतलाल आत्मज राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी चारभुजा तह0 कुम्भलगढ़ जि0 राजसंमद
6—लक्ष्मण आत्मज राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी चारभुजा तह0 कुम्भलगढ़ जि0 राजसंमद
7—सुरेशचन्द्र आत्मज राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी चारभुजा तह0 कुम्भलगढ़ जि0 राजसंमद
8—केसर पुत्री राधाकिशन पत्नि सुरेशचन्द्र ब्राहम्ण निवासी चारभुजा हाल निवास धायला तहसील व जिला राजसंमद
9—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीया
2—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 23.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के बैरून हल्के आबादी में नवीन खाता सख्या 69 में अकित आराजी संख्या 111 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 243 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 244 रकबा 1.24 है0, आराजी संख्या 245 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 246 रकबा 0.35, आराजी संख्या 247 रकबा 0.13, आराजी संख्या 320 रकबा 0.16, आराजी संख्या 321 रकबा 0.30, आराजी संख्या 506 रकबा 0.23, आराजी संख्या 507 रकबा 0.07, आराजी संख्या 508 रकबा 0.10, आराजी संख्या 510 रकबा 0.32, आराजी संख्या 522 रकबा 0.08, आराजी संख्या 538 रकबा 0.25, आराजी संख्या 542 रकबा 0.22, आराजी

संख्या 543 रकबा 0.29, आराजी संख्या 544 रकबा 0.29, कुल किता 17 कुल रकबा 5.02 है0 भूमि अंकित है। इस चरण में अकिंत कुलिया आराजियात ही प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है जिसे आगे इस प्रार्थना में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 1 में अकित समस्त विवादित आरजियात विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वजों की पैतृक सम्पदाएं होकर जिनका मूल खातेदार गणेष करीब 80–85 वर्ष पूर्व ग्राम नान्दुड़ा से सकूनत तर्क कर ग्राम गढ़बोर में जाकर आबाद हो गये तथा वहां पर उन्होने भूमिया बना ली। समर्थन मे उनके पुत्र राधाकिशन के खाते की जमाबन्दी की प्रति संवत 2067 से 2070 तक प्रस्तुत है जो विपक्षी संख्या पांच लगायत 8 के पिता व पति के नाम खातांकित है। विवादित आराजियात पर भैतिक रूप से अधिपत्य विपक्षीगण के पूर्वजो ने प्रार्थीगण के पिता माह को मौखिक रूप से संवत 1980 में सम्भंला दिया था, तभी से लेकर आज पर्यन्त तक पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज तथा वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजियात पर भौतिक रूप से काबिज होकर निर्बाद पूर्वक आराजियात का उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे है तथा वादग्रस्त आराजियात का लगान भी वे ही अदा करते चले आ रहे है समर्थन में कतिपय लगान की रसीदो की प्रतिये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो यह इंगित करती है विवादित आराजियात पर भौतिक रूप से बतौर मालिकाना आधिपत्य प्रार्थीगण का होकर वे ही इसके वास्तविक स्वामी है। वादग्रस्त आराजियात विपक्षी के नाम पर अभिलिखति होकर वह इसके खातदार कृषक है इस कारण से विपक्षी कभी भी इसका अनुचित लाभ उठाकर वह उसको अन्य को स्थानान्तरित कर सकते है जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की आंषका पैदा हो सकती है और पक्षकारो के मध्य कई गुणात्मक कार्यवाईया बढ़ जाने की संभवानाए बढ़ जायेगी इसलिये प्रार्थीगण के पक्ष में ओर विपक्षीगणके विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है कि मूल वाद के निस्तारण तक वाउग्रस्त आराजियात किसी अन्य को हस्तान्तरित अभिहसतान्तरित रहन भेट आदि न करे न करावें और वादग्रस्त आराजिया तकी शक्ल में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करें ओर न अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी तरह कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावें। तथा विपक्षी संख्या नौ वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में विपक्षीगण सं. 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी की और से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी द्वारा जबाव में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात सेटलमेन्ट से पूर्व विपक्षी 1 से 8 के पिता भंवरलाल व राधाकिशन ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 की पेश की औश्र इसके आगे कलम 3 मे निवेदन कि प्रार्थीगण के द्वारा जो सजरा उर्शाया गया है जो गलत है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में देवा की विरासत का कोई लेना देना नही है उक्त आराजियात हरिश चन्द्र के नाम दर्ज नही थी हरिशचन्द्र की विरासत से जो आराजियात मिली वो अलग है और उसका खाता भी अलग है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सकुनत तर्क करने का अंकन किया वो गलत है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात पूर्व में मोडा पिता अमरा ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी प्रमाण संवत 2009 से 2012 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गणेश अपने व्यवसाय से चारभुजा गढ़बोर चले गये तथा वहा भूमिया क्रय की जो विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम है। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित

आराजियात में कोई हक हिस्सा नही है प्रार्थीगण उक्त आराजियात सिलारे पर कास्त करते है प्रार्थीगण की नियत में फितुर आने से विपक्षीगण की खातेदारी भुमि को हड़पना चाहते है प्रार्थीगण लगान भी विपक्षी कहने से जमा कराते आ रहे है चुंकि भूमि सिजारे कास्त कर इसलिये जमा करा रहे है जिसका भुगतान विपक्षीगण द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है विपक्षीगण के पूर्वज प्रार्थीगण के विद्वास मे रहे जिसका प्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है प्रार्थीगण प्रतिकुल आधिपत्य दर्शाकर खातेदार घोषित नही हो सकते है और न ही ऐसा कानुन है इसी के साथ मजीद कथन में यह भी निवेदन किया विवादित आराजियात विपक्षीगण के पिता राधाकिशन भंवरलाल पिता गणेश के नाम दर्ज रेकार्ड है और भंवरलाल एवं राधाकिशन की मृत्यु होने से विपक्षीगण के नाम संवत 2015 से 2018 में जरिये नामान्तरणकरण 18 दिनांक 17.11.60 से दर्ज हुई अतः प्रार्थनापत्र खारीज किया जावे। इसी प्रकरण में दिनांक 01.11.2012 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी थी आज पत्रावली पेश के दौरान दोनो अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब में दिये गये तथ्यो दौहराया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में को वादी प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस की और प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया जिस पर मनन किया तो पाया कि इस प्रकरण में पूर्व में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है और विवादित आराजियाम से सम्बधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और वाद के विचाराधीन रहते अगर विपक्षीगण द्वारा भूमि को हस्तारित कर दी गई तो पक्षकारो के मध्य विवाद कई गुणा बढ़ने की संभवाना है इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना न्याय हित मे होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.11.12 जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला के बैरून हल्के आबादी में नवीन खाता सख्या 69 में अकित आराजी संख्या 111 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 243 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 244 रकबा 1.24 है0, आराजी संख्या 245 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 246 रकबा 0.35, आराजी संख्या 247 रकबा 0.13, आराजी संख्या 320 रकबा 0.16, आराजी संख्या 321 रकबा 0.30, आराजी संख्या 506 रकबा 0.23, आराजी संख्या 507 रकबा 0.07, आराजी संख्या 508 रकबा 0.10, आराजी संख्या 510 रकबा 0.32, आराजी संख्या 522 रकबा 0.08, आराजी संख्या 538 रकबा 0.25, आराजी संख्या 542 रकबा 0.22, आराजी संख्या 543 रकबा 0.29, आराजी संख्या 544 रकबा 0.29, कुल किता 17 कुल रकबा 5.02 है0 भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.1.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 18:06:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: